FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत [illegible] मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 111,128 [illegible] नं. 94/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 राज~~स्थान काश्तका~~री/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/05/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] जिला [illegible]	
04/05/2021	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/08/2021 को पेश हो। [initials]	
10/08/2021	[illegible] उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 12/10/2021 को पेश हो। [initials]	

12/10/2021 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मिस्ल नामिल मिस्ल / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 24/11/2021 को पेश हो। पुनः प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या - 4 व विपक्षी संख्या - 18 व 19 की फौतगी सूचना तथा कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने एवं संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लेने बाबत का प्रार्थना पत्र निवेदन किया गया की विपक्षी संख्या - 4 व 19 के कायम मुकाम रेकर्ड पर होने से उनके नाम विलोपित किये जावे व प्रार्थी संख्या - 18 के कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जावे। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली नियत दिनांक - 24/11/2021 को पेश हो।

24/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मिस्ल तामील मिस्ल / विपक्षी संख्या-1 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा मेमो हाजिरी पेश की गई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 18/01/2022 को पेश हो।

18/01/2022 प्रार्थी व विपक्षी संख्या -1 के वकील उप० / शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील मिस्ल तामील मिस्ल / श्रीमान पीठासीन अधिकारी शिविर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/03/2022 को पेश हो।

आवश्यक विपक्षीगण की ओर से
25/5/2022

2022 उपस्थित
तामील
की
पेश

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2022	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील जरिये तामील प्रेषक/विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/05/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाबई जिला – [illegible]	
25/05/2022	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या-4 व 19 का नाम विलोपित किया जाकर विपक्षी संख्या-18 के कायम मुकाम व संशोधित रिकॉर्ड रेकर्ड पर लिया जाता है। विपक्षी संख्या-1 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये है अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/08/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाबई जिला – [illegible]	
22/08/2022	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण संख्या-2 से 21 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षी संख्या-2 से 21 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है विपक्षी संख्या-1 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं	

सहायक कलक्टर (SDO) बाबई

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया गया तथा न ही विप्रार्थी संख्या-1 एवं उपस्थित हुए लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 27/09/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
27/09/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपख
मांक : वाद/2022/1326
प्रार्थी
1. गजाराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट, निवासी मेहराजो

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1326

दिनांक : 27/09/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. गजाराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट, निवासी मेहराजोणियों की बेरी, पटवार मण्डल बाटाडू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. तगाराम पुत्र चेतनराम वगैरा 23, जाति जाट, निवासी मेहराजोणियों की बेरी, पटवार मण्डल बाटाडू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 94 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – मेहराजोणियों की बेरी, पटवार मण्डल – बाटाडू, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1937 / 1484, 1941 / 1493 रकबा क्रमशः 1.8526, 1.1326 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1327 - 1331

दिनांक : 27/09/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गजाराम पुत्र चेतनराम,
4. विप्रार्थी श्री तगाराम पुत्र चेतनराम वगैरा 23,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर